न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
फौजदारी अपील सं0–08/2026
जलसिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि

08.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। अपीलार्थी अनुपस्थित है। अपीलार्थी न तो स्वॅय और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता इस मामले में उपस्थित आये और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विगत तिथि 02.04.2026 एवं 20.04.2026 पर अपीलार्थी न तो स्वॅय और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता इस मामले में उपस्थित आये। विगत तिथियों पर अपीलार्थी को पैरवी करने हेतु आदेशित किया गया था परन्तु अपीलार्थी की ओर से कोई पैरवी नहीं की गयी है और आज भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की इस अपील की कार्यवाही को चलाने में कोई रूचि नहीं है। अतः प्रस्तुत फौजदारी अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति में तथा पैरवी के अभाव में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाये।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर।